उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4

संख्या-170/2015/1104/22-4-15-48(24)/12

लखनऊ : दिनांक- 26 अगस्त, 2015

शुद्धि- पत्र

जिला कारागार, मैनपुरी में 88 नग दिन शौचालय, बाथिंग प्लेटफार्म, 18 सैप्टिक टैंक, 18 सोकपिट, 01 सैलो ट्यूबवेल, 400 मी0 नाली, 04 नग दिन शौचालय हेतु वाटर टैंक एवं 05 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प के निर्माण हेतु पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि हेतु जारी वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश संख्या-153/2015/923/22-4-15-48(24)/12, दिनांक 31.07.2015 के पृष्ठांकन में उल्लिखित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ के स्थान पर यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 31.07.2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(करूणेश कुमार सिंह)

अनु सचिव

संख्या-170/2015/1104(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(4) प्रबंध निदेशक, यू0पी0प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

(5) जिलाधिकारी, मैनपुरी।

(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in